संख्या-337/2025/आई/1034453/41-2-2025-सीएन-1881022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 23 जुलाई, 2025

विषय:-कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को आउटसोसिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बनध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7404/2-9(क्षे0का0आ0)/2022, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 30 जुलाई, 2024 को सम्पन्न मा0 मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत शासन के आदेश संख्या-210/2024/1376/41-2-2024/110 (सा0)/ 2023-CN-1749744, दिनांक 06.08.2024 के अनुपालन में पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन के फलस्वरूप **76** कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा **103** चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 30 जुलाई, 2024 को सम्पन्न मा0 मंत्रि परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में 76 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 103 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कराने का कष्ट करें:-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 08.09.2010 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ''भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी।"

(2) Out Sourcing of Man Power तथा Outsourcing of Services हेतु नियमित पद की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात Out Sourcing of Man Power तथा Outsourcing of Services हेतु नियमित पद नहीं सृजित किये जा सकते तथा सृजित पदो के विरूद्ध आउटसोर्सिग के माध्यम से नियुक्त/भर्ती अथवा किसी प्रकार का कार्य लिया जाना भी प्रतिबन्धित है।

(3) पर्यटन निदेशालय द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 76 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 103 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाओं की व्यवस्था/कार्य कराया जाना किसी सृजित पद के सापेक्ष नहीं किया जायेगा और न ही आउटसोर्सिग हेतु पद का सृजन किया जायेगा।

(4) वांछित पद की मानव सम्पदा के समतुल्य मानव शक्ति (Man Power) का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से Out Sourcing of Man Power के Mode से किया जायेगा।

(5) विभागीय सुविधा एवं आवश्यकतानुसार 76 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 103 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवायें Outsourcing of Services के माध्यम से Job Sourcing के Mode द्वारा भी Outsource कर सकते हैं।

(6) कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 8/2019/20/1/91-का-2 /2019, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जेम पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है। (Man Power) का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से Out Sourcing of Man Power के Mode से किया जाना है।

(7) उपर्युक्त वांछित पदों हेतु Out Sourcing of Man Power के Mode द्वारा जेम पोर्टल पर मानव शक्ति के क्रय हेतु मानव शक्ति की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

• कम्प्यूटर ऑपरेटर

(i) शैक्षणिक योग्यता- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उर्तीण कर ली हो।

(ii) हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाइपिंग - गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

(iii) CCC सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(v) आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• चतुर्थ श्रेणी (अनुसेवक)

(1) शैक्षणिक योग्यता- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उर्तीण कर ली हो।

(2) साइकिल/मोटर साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए।

(3) आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(8) सेवाप्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 आदि की कटौतियां नियमानुसार की जायेंगी। महानिदेशक पर्यटन द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यदि सेवाप्रदाता द्वारा एक माह तक कटौतियां नहीं की जाती हैं, तो सेवाप्रदाता को सचेत करते हुए कटौतियां सुनिश्चित करायी जायेगी। इसके पश्चात भी यदि सेवा प्रदाता द्वारा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 आदि की कटौतियां नियमानुसार नहीं की जाती है, तो महानिदेशक पर्यटन द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता पर जेम पोर्टल के नियमों/Incident management Policy के तहत कार्यवाही की जायेगी।"

(9) श्रम संविदा नियमावली, साप्ताहिक, राजकीय, मातृत्व आदि अवकाश एवं कार्य घण्टे जैसे नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी महानिदेशक पर्यटन की होगी।

(10) आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग,श्रम विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय पर्यटन विभाग के अनुदान अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' मद के नामे डाला जायेगा।

4. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती एवं उनके द्वारा कार्यों का सम्पादन जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के गठन विषयक शासनादेश संख्या-892/41-2022-01(गठन)/2022, दिनांक 01.06.2022 के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव।
   कार्मिक विभाग/वित्त विभाग/श्रम विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।